राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकः- प03(2)राज-6/07|19 जयपुर दिनांक :- 25-11-11

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान।

विषयः- अवैधानिक रूप से मंदिर माफी की भूमि पर से विधिक टिनेंट का नाम विलोपन के संबंध में कार्यवाही करने के क्रम में।

परिपत्र

रियासतकालीन भू-धारकों (लेण्ड होल्डर) द्वारा मंदिरों की सेवा-पूजा व पुजारियों/सेवायतों के जीवनयापन हेतु मूर्ति मंदिरों की कृषि भूमियां माफी में दी गयी। ऐसी भूमियों का माफी मूर्ति मंदिर के साथ-साथ अहतमाम पुजारी/सेवायतों के नामों का भी राजस्व रिकार्ड में अंकन किया। पुजारियों/सेवायतों ने कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के प्रावधानों अंतर्गत अपने नाम अवैध रूप से खातेदारी दर्ज कराकर मूर्ति मंदिर की भूमि माफी का हस्तान्तरण कर उन्हें खुर्द-बुर्द करना प्रारम्भ कर दिया। ऐसी स्थिति में देवमूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा इसके संबंध में अनावश्यक मुकदमेंबाजी को रोकने के लिए भू-प्रबंध आयुक्त व समस्त जिला कलेक्टर्स को संबोधित पत्र क्रमांक प.2(4)राज-4/98/37 दिनांक 31-12-1991 को जारी किया गया। जिसमें निम्न प्रकार कार्यवाही करने के निर्देश प्रसारित किये:-

1. भविष्य में जो जमाबंदी राजस्व विभाग या बंदोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नहीं लिखा जावें।
2. प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जावे। जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।
3. जो जमाबंदी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभाव में है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बाबत् स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिकार्ड के कालम अंकित किया जावे।

यह पत्र जिस भावना से जारी किया वह तो ठीक थी परन्तु भू-प्रबंध अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ-साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनो को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैद्य रूप से खातेदारी अधिकार प्रादभूत हुये थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 31-12-91 की मंशा के विरूद्ध की गयी थी। इस प्रकार पत्र दिनांक 31-12-91 की मंशा के विपरीत वैध्य काश्तकारों का खातेदारी अंकन विलोपित करना कानून संगत नहीं था।

मूर्ति मंदिर की भूमियों के संबंध में कानूनी स्थिति निम्न प्रकार है:—

(अ) राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नःग्रहण अधिनियम 1952 के अनुलग्न अनुसूची प्रथम के क्रम संख्या 15 पर माफी को जागीर की श्रेणी में माना है अतः माफी में प्रदत्त भूमियों पर राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नःग्रहण अधिनियम के प्रावधान अक्षरशः लागू होते है।

(ब) राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के किसी भी प्रावधानों में अवयस्क की माफी को पुनर्ग्रहित (resumption) करने पर कोई रोक नहीं है। इसलिये अवयस्क की माफी अर्थात मूर्ति मंदिर की माफी भूमि भी राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नःग्रहण अधिनियम 1952 के तहत पुर्नग्रहित (resume) की जाना थी।

(स) राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नःग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अनुसार जो निम्न है:—

जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकारः— जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप मे या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अंतरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है से अधिकार प्राप्त रहेगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। उक्त प्रावधान के अनुसार अर्हता रखने वाले मूर्तिमाफी के काश्तकारों को पुर्नःग्रहण की दिनांक से कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये।

(द) राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नःग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 10 के अनुसार माफीदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(23) में यथा परिभाषित खुद काश्त भूमि पर माफीदार अर्थात मूर्ति मंदिर को जो शाश्वत अवयस्क विधिक पुरूष है, खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये। इस प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में वर्णित अवयस्क की निर्योग्यता (disability) के प्रावधान लागू होते है। जिसके कारण कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत उप कृषक को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते।

इस समस्या के निराकरण हेतु राजस्व विभाग के उक्त पत्र दिनांक 31—12—91 की निरन्तरता में परिपत्र क्रमांक 3(2) राज—6/07/14 दिनांक 24—5—07 जारी किया। इसके बिन्दु संख्या 3 के अनुसार जिन कृषकों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये परन्तु मूर्ति मंदिर की माफी (जागीर) भूमि मानकर दायर रेफरेंस केस लम्बित है, उनका इस परिपत्र के अनुसार निस्तारण होने से निराकरण हो जाता है।

परंतु उन मामलों में जो बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अर्थात रेफरेंस दायर किये बिना ही पत्र दिनांक 31–12–91 की पालना में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नःग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अंतर्गत वैध रूप से खातेदारी प्राप्त कृषकों की खातेदारी विलोपित कर दी है, उनके समस्या निराकरण किये जाने का परिपत्र दिनांक 24–05–07 में कोई स्पष्ठ प्रावधान नहीं है।

अतः परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/07/14 दिनांक 24–5–07 की निरन्तरता में आगे स्पष्ट किया जाता है कि जहां राजस्व विभाग के पत्र प0 2(4)राज–4/98/37 दिनांक 31–12–91 की पालना में पूर्ववर्ती राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में काश्तकारों की अंकित खातेदारी अंकन को बिना किसी रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर पारित विधिक आदेश के विलोपित कर दिया है ऐसे मामले राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में रिकार्ड दुरूस्ती के प्रावधानों के अंतर्गत निर्णित किये जाने चाहिये। क्योंकि ऐसे मामलों जिनमें बिना किसी विधिक आदेश के खातेदारी अंकन का रिकार्ड तैयारी के समय विलोपन कर दिया हो, उन्हें पत्र दिनांक 31–12–91 की गलत व्याख्या के तहत की गयी लिपिकीय भूल ही माना जावेगा और ये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अंकन दुरूस्त करने की श्रेणी में आते हैं अतः ऐसे मामलों में प्रभावित काश्तकारों से धारा 136 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र विधिवत दायर कराकर रिकार्ड दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे। जहां ऐसे प्रकरण बहुतायत में हैं वहां कैम्प लगाकर प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान की जावें।

यहां यह विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि यह परिपत्र उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें किसी विधिक आदेश से कृषक की खातेदारी विलोपित करके भूमि मूर्ति मंदिर की खातेदारी में दर्ज की गई हो।

25.11.2011
उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर।
2. जागीर आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

25.11.2011
उप शासन सचिव